2017/00056

निर्णय न्यायालय श्री मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
210/2016	19.12.2016	24/12/19

1. प्रहलाद पुत्र बजरंगा, माली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
2. तुलसा देवी पत्नी प्रहलाद, माली नि0 मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर

——प्रार्थीगण

बनाम

1. श्योजी पुत्र धूलीलाल, माली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
2. शंकर पुत्र धूलीलाल, माली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– श्री गुलशेर खान, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री संजय शर्मा,एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण प्रहलाद पुत्र बजरंगा व तुलसा देवी पत्नी प्रहलाद माली निवासी मलारनाडूंगर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1667/107 रकबा 2 बीघा व प्रतिवादीगण की भूमि ख0नं0 1667/107/1 रकबा 2 बीघा ग्राम मलारनाडूंगर बी में स्थित है। ख0नं0 1667/107/1 रास्ते पर है व इसके बाद ख0नं0 1667/107 है जो वादीगण की भूमि है। ख0नं0 1667/107 में आने जाने का रास्ता ख0नं0 1667/107/1 में होकर रहा है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में होकर जाने का नहीं है। अब अप्रार्थीगण की नियत में खोट आ चुका है इसलिए वे प्रार्थीगण को उनकी भूमि में से नवीन रास्ता नहीं देना चाहते हैं। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को भूमि ख0नं0 1667/107/1 में होकर प्रार्थीगण के कब्जे एवं खातेदारी की भूमि ख0नं0 1667/107 में आने जाने का रास्ता मुताबिक नजरी नक्शा दिया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में इसका अमल फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते के पास स्थित है

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

जिसमें होकर प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का कोई रास्ता बनाकर आ जा नहीं रहे हैं। उक्त आराजी का विभाजन न्यायालय की डिक्री अनुसार किया गया था जिसमें प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के पीछे का हिस्सा लिया था। तभी से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण इसी अनुसार काबिज काश्त हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से भूमि ख0नं0 1667/107 रकबा 4 बीघा का विभाजन हुआ है। प्रार्थीगण ने अपनी मर्जी से अप्रार्थीगण के पीछे की भूमि विभाजन में ली थी। अप्रार्थीगण अब भी सहमत हैं कि उक्त आराजी का बंटवारा पूर्व के अनुसार निरस्त कर खडे हिस्से कर लिए जावें जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उक्त आराजी रास्ते से लग जावेगी जिससे रास्ता देने में किसी की भी आराजी का नुकसान नहीं होगा तथा दोनों को ही रास्ता निकालने की परेशानी नहीं होगी। अप्रार्थीगण इस बात से भी सहमत हैं कि यदि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता चाहता है तो जितनी आराजी अप्रार्थीगण की रास्ते में जावेगी उतनी ही आराजी प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को दे देवे तथा बिना किसी रूकावट के रास्ता प्राप्त कर ले। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर्याप्त कारण के बिना प्रस्तुत किया गया है जो खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 खाता बजरंगा पुत्र जगन माली, खाता श्योजी, शंकर माली, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में भू–अभिलेख निरीक्षक मलारनाडूंगर से रिपोर्ट मंगवाई गई। भू–अभिलेख निरीक्षक मलारनाडूंगर ने दिनांक 21.6.2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 1667/107 रकबा 2 बीघा ग्राम मलारनाडूंगर में आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 1667/107/1 में होकर है। इसलिए प्रार्थीगण को इस नम्बर में होकर आने जाने हेतु रास्ता देने का आदेश फरमाया जावे।

(मनोज कुमार)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य भूमि ख0नं0 1667/107 का विभाजन हुआ है। विभाजन के समय प्रार्थीगण ने अपनी मर्जी से अप्रार्थीगण की भूमि के पीछे वाले भू–भाग को लिया है। अप्रार्थीगण की भूमि में होकर आने जाने हेतु प्रार्थीगण का कभी रास्ता नहीं रहा है। फिर भी यदि प्रार्थीगण चाहे तो पुनः भूमि का विभाजन करवा कर भूमि के खडे हिस्से करवा लें ताकि दोनों को ही सडक से रास्ता मिल जावे अन्यथा प्रार्थीगण उतनी भूमि अप्रार्थीगण को दे देवे जितनी भूमि अप्रार्थीगण की रास्ते में जावेगी। दोनों ही विकल्प नहीं मानने पर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रिपोर्ट आई0एल0आर0 का अवलोकन किया। आई0एल0आर0 की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता आम श्योजी, शंकर पिता घूडया माली की आराजी की दक्षिणी मेड पर होकर पूर्व से ही चालू है। इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को उनकी भूमि पर जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है एवं मौके पर वर्तमान में चालू है। अब वे मात्र सुविधा विस्तार के लिए रास्ता चाहते हैं। रास्ते की अनिवार्यता प्रार्थीगण प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा धारा 251(ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/19 को सुनाया गया।

24/12/19

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

मनोज कुमार वर्मा
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2020.06.16 15:36:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: